

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / एनएचएम/एचआर/2017/17455

भोपाल, दिनांक : 17-05-17

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञापन क्र-एनएचएम/एचआर/2017/13650/भोपाल, दिनांक 17/01/2017 द्वारा क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट के संविदा पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे। नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है:-


क्र	चयनित अभ्यर्थियों के नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थल	मासिक मानदेय
1	श्री अजय शर्मा	सामान्य	डीईआईसी धार	20,000/-
2	श्री संजीव त्रिपाठी	सामान्य	डीईआईसी खण्डवा	20,000/-
3	श्री शैलेन्द्र प्रताप	अनुसूचित जाति	डीईआईसी होशंगाबाद	20,000/-
4	श्री दिलीप कुमार लिल्लरे	ओबीसी	डीईआईसी मण्डला	20,000/-
5	श्री आनंद कुमार सिंह	सामान्य	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बड़वानी	20,000/-
6	श्री वरुण कुमार	सामान्य	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रतलाम	20,000/-
7	सुश्री जूली सेंगर	सामान्य	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शिवपुरी	20,000/-
8	श्री रिकु पोड्डार	सामान्य	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सतना	20,000/-

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति के साथ अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो ताकि दस्तावेजों का सत्यापन कर अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त सभी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यक्रमों से संबंधित सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

संविदा कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी-

1. संविदा कर्मचारी की नियुक्ति वित्तीय वर्षान्त तक के लिये होगी।
2. संविदा कर्मचारी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
6. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
7. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
8. संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य करना होगा।


(श्री किरण गोपाल)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश


पृ.क्रमांक / एनएचएम/एचआर/2017/17455

भोपाल, दिनांक : 17-05-17

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, ।

3. संचालक, एनएचएम, भोपाल, म.प्र.।
4. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, धार, शिवपुरी, सतना, खण्डवा, बड़वानी, रतलाम, होशंगाबाद, मण्डला म.प्र.।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन, रीवा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी ऑनलाईन लिमिटेड भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि वे परिणाम बेबवाईट पर प्रदर्शित कर, चयनित अभ्यर्थी को सूचित करने का कष्ट करें।


मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश